भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2923 का उत्तर

फार्रुखनगर-झज्जर-चरखी दादरी-लोहारू रेल लाइन

2923. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित फार्रुखनगर-झज्जर-चरखी दादरी-लोहारू नई रेल लाइन के शुरुआत और इसके सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने तथा अंतर-विभागीय अनुमोदनों की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षेत्रीय रेल संपर्क संबंधी प्रस्तावों में लंबे समय से शामिल होने के बावजूद इस परियोजना के योजना चरण से आगे नहीं बढ़ पाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत, इसके पूरा होने की संभावित तिथि तथा वित्तपोषण व्यवस्था (केंद्र/राज्य अंश) का ब्यौरा क्या है;

(घ) दक्षिणी एवं पश्चिमी हरियाणा में बेहतर आवागमन, व्यापार, रोजगार तथा क्षेत्रीय संपर्क सहित इस परियोजना से अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस रेल लाइन परियोजना में तेजी लाने तथा इसे दक्षिण हरियाणा आर्थिक रेल गलियारा जैसी व्यापक रेल अवसंरचना योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना अथवा प्राथमिकता दर्जा प्रदान करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): फर्रुखनगर, झज्जर, चरखी दादरी और लोहारू पहले से ही रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

संपर्कता को और बेहतर बनाने और साथ ही सीधा संपर्क प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित सर्वेक्षण किए गए हैं:-

क्र.सं.	परियोजन का नाम	स्थिति
1	फर्रुखनगर-झज्जर (25 कि.मी.) नई लाइन	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। फील्ड सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
2	झज्जर-चरखी दादरी-लोहारू (94 कि.मी.) नई लाइन	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरा करने के पश्चात, परियोजना को स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदनों जैसे कि नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि हितधारकों के साथ परामर्श एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, अतः निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना (126 किलोमीटर) को विकास हेतु 5618 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो हरियाणा राज्य सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा शुरू किया गया है। पातली-मानेसर (7 किलोमीटर) खंड को कमीशन कर दिया गया है। शेष खंड का कार्य शुरु कर दिया गया है। परियोजना की स्थिति निम्नानुसार है:

- भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है।
- भूमि संबंधी कार्य: 229 लाख घनमीटर में से 79 लाख घनमीटर का भूमि संबंधी कार्य पूरा हो चुका है
- सुरंग: 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो गया है
- बड़े पुल: 84 में से 02 का निर्माण पूरा हो गया है
- छोटे पुल: 360 में से 82 का निर्माण पूरा हो गया है
- रेलपथों को जोड़ना: 315 रेलपथ किलोमीटर में से 19 रेलपथ किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है

हरियाणा:

रेल बजट:

हरियाणा राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹315 करोड़ प्रति वर्ष
2026-27	₹3,566 करोड़ (11 गुना से अधिक)

स्वीकृत की गई परियोजनाएं:

01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली ₹13,317 करोड़ की लागत से 711 किलोमीटर कुल लंबाई की 9 परियोजनाएं (01 नई लाइन और 08 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। कार्य की स्थिति का सार निम्नानुसार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2026 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	1	28	0	1,056
दोहरीकरण/बहुपथन	8	683	62	1,783
कुल	9	711	62	2,839

हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं:

हरियाणा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	जींद-सोनीपत नई लाइन (89 किलोमीटर)	800
2.	रेवाड़ी-रोहतक नई लाइन (85 किलोमीटर)	1,001

3.	रोहतक-महम-हांसी नई लाइन (64 किमी)	889
4.	सूरतपुरा-श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन (241 किलोमीटर)	896
5.	जयपुर-चूरू और सीकर-लोहारू आमान परिवर्तन (320 किलोमीटर)	1,105
6.	जाखल-मानसा दोहरीकरण (45 किलोमीटर)	163
7.	अंबाला-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 किलोमीटर)	339
8.	रेवाड़ी-मनहेरू दोहरीकरण (69 किलोमीटर)	465
9.	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन (34 किलोमीटर)	366
10.	मथुरा-पलवल चौथी लाइन (80 किलोमीटर)	669
11.	खाठूवास-नारनौल दोहरीकरण (24 किमी)	313
12.	खुखराना-पानीपत दोहरीकरण (8 किलोमीटर)	58
13.	पलवल-न्यू पिरथला नई लाइन (10 किलोमीटर)	66

चालू परियोजनाएं:

हरियाणा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	चंडीगढ़ - बद्दी नई लाइन (28 किलोमीटर)	1,942
2.	भिवानी-भाली दोहरीकरण (42 किलोमीटर)	471
3.	मनहेरू-बवानी खेड़ा दोहरीकरण (32 किलोमीटर)	413
4.	दिल्ली-अंबाला तीसरी और चौथी लाइन (194 किलोमीटर)	5983
5.	रेवाड़ी-खाठूवास दोहरीकरण (28 किलोमीटर)	352

चालू सर्वेक्षण/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट:

पिछले तीन वर्षों 2023-24, 2024-25, 2025-26 और चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, हरियाणा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 1041 किलोमीटर कुल लंबाई को कवर करने वाले 16 सर्वेक्षण (06 नई लाइन और 10 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता**
- **परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता**
- **अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना**
- **संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार**
- **राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें**
- **रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ**
- **सामाजिक-आर्थिक महत्व**
- **निधियों की समग्र उपलब्धता**

रेल अवसंरचना परियोजनाएं क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाती हैं, जिसमें शामिल हैं:

- **देश के अन्य हिस्सों के साथ क्षेत्र का बेहतर एकीकरण**
- **माल और सेवाओं की तीव्र आवाजाही**
- **संभार तंत्र दक्षता में सुधार लाना**
- **लाइन क्षमता बढ़ाना**
- **क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना**
- **परिचालनिक बाधाएं कम करना**
- **क्षेत्र में पर्यटन उद्योग का विकास और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि।**

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण**
- **वन संबंधी स्वीकृति**
- **अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ**
- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति**
- **परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।**

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
